ई-गवर्नेंस परियोजना

e-Governance Project

www.emitra.gov.in

https://sso.rajasthan.gov.in

परिचय

ई-मित्र परियोजना:-

ई-मित्र अर्थात ईलेक्ट्रानिक माध्यम से की गई मित्रता है जिसमें कम्प्यूटर तकनिकी का प्रयोग करते हुए आमजन को ऑनलाइन सेवाऐ प्रदान करना है।

ई-मित्र / ई-गवर्नेंस परियोजना के माध्यम से समस्त सरकारी, निजी एवं सामाजिक सेवाओं को प्रभावशाली एवं पारदर्शी प्रणाली के न्यूनतम दरों पर नागरिक के निकट पंहुचाना है।

परिचय

इस कार्य हेतु सरकार ने शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में कियोस्क स्थापित किये गये है। जिनके माध्यम से एक छत के नीचे समस्त प्रकार की सरकारी एवं गैर सरकारी सेवाओं का समायोजन कर 'एकल खिड़की' के माध्यम से नागरिकों को सेवाएं दी जानी है।

यह योजना सरकारी, निजी सहभागिता (PPP – Public Private Partner) पर आधारित है।

वर्तमान में ई-मित्र परियोजना के माध्यम से लगभग 60 विभागों की 200+ सेवाऐं कियोस्क द्वारा दी जा रही हैं।

परियोजना का संचालन ?

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT&C):-
ई-मित्र परियोजना सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा संचालित योजना है। राज्य सरकार की ओर से यह विभाग ई-मित्र परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए पूर्ण समन्वयक के रूप में कार्य कर रहा है।

यह विभाग इस योजना के लिए शिर्षस्थ विभाग है।

परियोजना का संचालन ?

राजकॉप इन्फो सर्विसेज लि. (RISL/RajOnline):-
राजकॉम्प राज्य प्राधिकृत एजेंसी (SCA-State Center Agency) के रूप में ई-गवर्नेंस परियोजना के क्रियान्वयन, नीति निर्धारण का कार्य करता है।
ई-गवर्नेंस परियाजना में नई सेवाएं जोडने के लिए यह विभाग अन्य विभागों से समन्वयक का कार्य करता है एवं उनके साथ आवश्यक क्रियान्वयन योजना बनाता हैं।

परियोजना का संचालन ?

जिला ई-मित्र समिति (DeGS):-

ई-गर्वनेंस परियोजना राजस्थान सरकार की एक महत्वकांक्षी पहल है जो सार्वजनिक-निजी भागीदारी प्रारूप का उपयोग कर राज्य के सभी 33 जिलों में नागरिकों की सुविधा और सेवा वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए लागू की गई है ताकि उन्हें उनके दवारा पर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इस उद्देश्य से सूचना प्रौदयोगिकी एवं सचार विभाग के मार्ग-निर्देशन में प्रत्येक जिले में एक ई-मित्र समिति जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित की गई है जो जिला स्तर पर पुर्ण समन्वयक एवं प्रशासनिक कार्य करती हैं।

परियोजना का संचालन ?

स्थानीय सेवा प्रदाता (LSP/SCA):-

कियोस्क का सरलतापुर्वक संचालन करने के लिए प्रत्येक जिले में स्थानीय सेवा प्रदाताओं (LSPs) का राज्य सरकार दवारा चयन किया जाता है। जिले में स्थानीय सेवा प्रदाताओं की संख्या एक या एक से अधिक हो सकती हैं जो उस जिले में जिला ई-मित्र समिति के अन्तर्गत कार्य करेगी एवं जिला ई-मित्र समिति एवं कियोस्क के मध्य पूर्ण समन्वयक का कार्य करेगी।

स्थानीय सेवा प्रदाता का मुख्य कार्य उचित कियोस्क का चयन करना एवं उन्हें इस परियोजना में कार्य करने हेतु पूर्ण प्रशिक्षण देकर सक्षम बनाना है।

परियोजना का संचालन ?

कियोस्क (Kiosk):-

सार्वजनिक स्थान पर लगाया गया कम्प्यूटर या ऐसा केन्द्र जो किसी खास विषय पर उपभोक्ताओं को सामान्य जानकारी/मुलभुत सेवाएं एक छत के निचे उपलब्ध कराता है ऐसा केन्द्र कियोस्क कहलाता है।

कियोस्क का स्थान निजी अथवा सरकारी भवन में हो सकता है जो आम नागरिक के पहुंच में हो।

कियोस्क संचालन के लिए आवश्यक ?

कियोस्क स्थान एवं फर्नीचर:

कम्प्यूटर:

UPS:

कियोस्क संचालन के लिए आवश्यक ?

इंटरनेट कनेक्शन:

डॉट मेट्रिक्स प्रिन्टर:

लेजर प्रिन्टर:

कियोस्क संचालन के लिए आवश्यक ?

स्केनर:

बायोमेट्रीक:

वेब केमरा:

कियोस्क संचालन के लिए आवश्यक ?

स्पीकर:

माइक/हेडफोन:

कियोस्क संचालन के लिए आवश्यक ?

ई-मित्र रसीद:

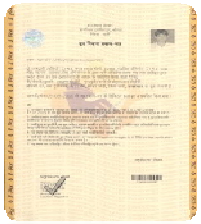

प्रमाण पत्र:

शिकायत/सुझाव रजिस्टर अथवा पेटी

कियोस्क संचालन के लिए आवश्यक ?

ई-मित्र सेवावार दर सूची:

कियोस्क क्या करें / ना करें ?

- ✓ कियोस्क लगभग 150 से 200 Sq ft. के कक्ष में दो से तीन व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था।
- ✓ यह एक पक्का निर्माण कक्ष होगा जिसमें जल रिसाव की कोई संभावना ना हो।
- ✓ प्रकाश एवं हवा की उचित व्यवस्था।
- ✓ ई-मित्र केन्द्र पर डिसप्ले बोर्ड एवं सेवाओं की दर सूची के साथ चस्पा हो जिस पर राज्य का टोल-फ्री नम्बर अंकित हो।

कियोस्क क्या करें / ना करें ?

- ✓ स्थान आम नागरीक के पहुच में हो एवं पार्किंग की उचित व्यवस्था हो।
- ✓ ई-मित्र कियोस्क पर कियोस्क धारक प्रमाण-पत्र लगा हो।
- ✓ किसी भी राष्ट्रीय बैंक में चालू खाता हो और
- ✓ खाते की नेट बैंकींग (NEFT) की सुविधा हो।
- ✓ कियोस्क की OMT ID प्राप्त हो जाने के पश्चात उसे install कर रजिस्टर करे।

कियोस्क क्या करें / ना करें ?

- ✓ कार्य केवल ऑनलाइन ही करने होंगे, ऑफलाइन कार्य स्विकार्य नहीं होंगे।
- ✓ आवेदक को ई-मित्र सेवा की पावती रसीद देनी होगी। जो राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित है।
- ✓ निर्धारित दर सके अधिक राशि चार्ज नही करेंगे।
- ✓ आम-जन को सभी सेवाएं देने हेतु आप बाध्य हैं।
- ✓ कियोस्क नियमित एवं निर्धारित समय में खोलना होगा।
- ✓ आम-जन से सभ्यता से वार्ता करनी होगी।

कियोस्क क्या करें / ना करें ?

- ✓ कियोस्क पर गैर-कानूनी कार्य करना एवं गैर-कानूनी सामग्री रखना अपराध हैं।
- ✓ ई-मित्र (SSO) पोर्टल की लॉगइन आई.डी. का पासवर्ड समय-समय पर बदलते रहे एवं पासवर्ड को गोपनीय रखे।
- ✓ किसी अन्य व्यक्ति को स्वयं की लॉगन आई.डी. हस्तांतरण नही करेंगे।
- ✓ जिस स्थान के लिए आपका कियोस्क स्वीकृत हुआ है उसी स्थान पर रहते हुए कार्य करना है।

कियोस्क क्या करें / ना करें ?

- ✓ कियोस्क का स्थान LPS/DeGS की स्वीकृती के बिना नहीं बदलेंगे।
- ✓ प्रत्येक कियोस्क को न्युनतम रू. 20000 (बीस हजार) का ई-वॉलेट रखना होगा।
- ✓ यदि ऐसा कियोस्क लगातार 30 दिवस (एक माह) तक ई-मित्र पॉर्टल पर एक भी ट्रांजेक्शन नहीं करता है तो उस पर रू. 1000 (एक हजार) सूचना प्रौदयोगिकी विभाग द्वारा जुर्माना लगाया जाता है और ऐसा निरंतर पाये जाने पर आपका कियोस्क निरस्त भी किया जा सकता है।

कियोस्क क्या करें / ना करें ?

- ✓ कियोस्क पर जमा किये जाने वाले बिलों (बिजली पानी फोन एवं मोबाइल) के काउन्टर फोलीयों को लेना अनिवार्य नही हैं चुकी इसे विभाग को जमा नहीं कराने होते है।
- ✓ ऑनलाइन जमा होने वाले आवेदनों की फाइलींग अच्छे से रखनी होगी चुकी विभाग द्वारा मांगे जाने पर जमा करानी होगी और इसकी पावती अपने रिकोर्ड में रखनी होगी।

कियोस्क क्या करें / ना करें ?

- ✓ आपके कियोस्क पर चैंक/डी.डी. से भुगतान लेने की स्वीकृती के लिए एक बार हमारे कार्यालय पर संपर्क कर स्वीकृती लेनी हागी।
- ✓ चैंक के द्वारा भुगतान बिजली बिल हेतु AO (CCC) और पानी, टेलीफोन एवं मोबाइल बिल हेतु District e-Governance Society, Jaipur के नाम से स्वीकार्य होंगे। (केवल जयपुर जिले के लिए)
- ✓ चैक/डी.डी के पिछे उपभोक्ता का नाम, नम्बर, एवं बिल खाता सं. अवश्य लिखवावे।

कियोस्क क्या करें / ना करें ?

- ✓ चैक आगमी दिनांक का नही होना चाहीए।
- ✓ चैक/डी.डी. तीन माह पुराने से अधिक पुराना नही होना चाहीए।
- ✓ यदि बिल जमा होने में किसी प्रकार की गलती हो जाये तो आप हमे तुरंत रसीद की पूर्ण सूचना एवं कारण सहीत ई-मेल के माध्यम से संपर्क करे।
- ✓ कियोस्क द्वारा नियमानुसार कार्य नहीं करने पर कियोस्क बन्द किया जा सकता है या जुर्माना भी लगाया जा सकता है अथवा दोनो।

कियोस्क क्या करें / ना करें ?

- ✓ उपभोक्ता को सेवा के लिए विभाग के निर्देशानुसार गाईड करना होगा जिससे वह आवेदन पत्र को भर आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न कर कियोस्क पर जमा करावे।
- ✓ ई-मित्र कियोस्क प्रिपेड मोडल पर कार्य करता है अत: कियोस्क को कार्य करने के लिए ई-मित्र पोर्टल पर क्रेडिट लिमिट लेनी होगी तत्पश्चात कियोस्क सेवाएं दे सकेगा। लिमिट लेने व सेवाएं देने की प्रक्रिया अगले पडाव में वर्णित है।

कियोस्क ई-मित्र पर लोगीन कैसे करे ?

- ✓ वर्तमान में ई-मित्र के दो पोर्टल कार्यरत हैं:-
  पुराना ई-मित्र www.emitra.gov.in
  पुराना ई-मित्र की दो लोगीन आई.डी. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा दी जाती हैं। जैसे:-

क्र.स.	लोगीन आई.डी.	कार्य
1	d35k1111admin01	Fund Transfer/ Taking Limit in e-Mitra Kiosk/ Reports
2	d35k1111co01	Transaction/ Service Delivery/ Reports

कियोस्क ई-मित्र पर लोगीन कैसे करे ?

- ✓ वर्तमान में ई-मित्र के दो पोर्टल कार्यरत हैं एक **नया ई-मित्र** https://emitra.rajasthan.gov.in नया ई-मित्र की SSO Citizen ID कियोस्क धारक स्वयं बनाता है। जो SSO पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in पर आधार/ भामाशाह/ फेसबुक अथवा जीमेल आई.डी. के आधार पर बनाई जाती है। यह प्रक्रिया अब कियोस्क के लिए आवेदन किये जाने के समय कर ली जाती है तत्पश्चात इसी SSO Citizen ID पर कियोस्क बना जाता है।

कियोस्क ई-मित्र पर लोगीन कैसे करे ?

- ✓ **उदाहरण के लिए एक** SSO ID laxman.solanki **कियोस्क बन जाने के पश्चात** SSO ID **में निम्न विकल्प प्रदर्शित हो जाते है-**
  Financial
  Services
  Reports
- ✓ **यदि आपने अभी तक** SSO Citizen ID **नहीं बनाई है तो बनाये जाने की निर्देशिका अगले पडाव में दर्शायी गई है।**

कियोस्क ई-मित्र पर लोगीन कैसे करे ?

- ✓ दोनो ई-मित्र पोर्टल के युजर SSO पोर्टल से लोगीन होंगे। लेकिन पुराने ई-मित्र पर नये कियोस्क कुछ दिनों के लिए सीधे ई-मित्र की वेबसाइट (www.emitra.gov.in) से ही लोगीन कर पायेंगे। इसके बाद यह आई.डी. SSO Portal पर लागू हो जायेगी।
- ✓ SSO पोर्टल की विस्तृत प्रक्रिया अगली निर्देशिका से प्राप्त करे।

ई-मित्र की कार्य प्रणाली ?

- ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से अमजन को ओनलाइन सेवाएं दी जाती हैं जो केवल सुगम केन्द्र (facilitated center) का कार्य करता है। कियोस्क केवल विभागों के निर्देशानुसार सेवाएं देने का कार्य करता है, यह विभिन्न विभागों का एक कार्यालय होता है।

ई-मित्र की कार्य प्रणाली ?

- ✓ कियोस्क द्वारा दी जाने वाली सेवा के उपरान्त उसे निर्धारित शुल्क अदा किया जाता हैं, कई सेवाओं में यह शुल्क उपभोक्ता स्वयं वहन करता है तो कई सेवाओं में विभाग द्वारा कियोस्क को दिया जाता हैं। जो राज्य सरकार के द्वारा तय किया होता हैं।
- ✓ ई-मित्र पोर्टल से जनरेट रसीद पर अंकित राशि उपभोक्ता अदा करनी होती है।

कियोस्क पर लिमिट लेने का विकल्प ?

- ✓ ई-मित्र पोर्टल पर लिमिट लेने के विकल्प निम्नानुसार उपलब्ध है

SNo	Payment Mode	Extra Charges
1	Net banking	
	• ICICI	NO EXTRA CHARGES
	• SBBJ	
	• HDFC	
	• BoB	
	• PNB	

SNo	Paymen Mode	Extra Charges
2	Aggregator	
	• Bill Desk	Charges applicable as per RBI Guideline
	• PAY U	
	• KMBL	NO EXTRA CHARGES

e-Mitra Project

0141-2770085, *7820813555*,
8824002050 Ext. No. 30, 68, 40, 61
aksh.rajasthan@gmail.com

Aadhar Project

0141-2770085, *7820813555*,
8824002050 Ext. No. 81, 82, 83, 35
help.aksh@gmail.com

BC Project

9413339411, 9549084432,
9549890602

rajendra.aksh99@gmail.com